

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, जिला झाँसी ।

परिवाद संख्या- 3044/ 2022

पी. एन. बी. बैंक शाखा कुरैठा

बनाम

पुष्पेन्द्र कुमार ।

धारा- 138 एन. आई. एक्ट

थाना- गुरसराय, जिला- झाँसी ।

दिनांक- 04. 07. 2023

पत्रावली आदेश हेतु प्रस्तुत हुई । तलबी के बिन्दु पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है ।

पत्रावली पर संलग्न परिवाद पत्र के अनुसार परिवादी पंजाब नेशनल बैंक शाखा कुरैठा, जिला झाँसी द्वारा शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक कुरैठा को विपक्षी पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र प्रताप नारायण अहिरवार द्वारा दी गयी पंजाब नेशनल बैंक शाखा कुरैठा, जिला झाँसी (उ०प्र०) की एक किता चैक संख्या- 519602 मु० 5,27,300/- (पाँच लाख सत्ताईस हजार तीन सौ रुपये) दिनांकित 28. 10. 2022 के बैंक मेमोरेण्डम के अनुसार Funds insufficient की टिप्पणी के कारण अनादृत होने के संबंध में उक्त वाद दायर किया गया है ।

परिवादी की ओर से धारा- 200 दं. प्र. सं. में स्वयं का शपथपत्र दाखिल किया है । परिवादी के परिवाद कथानक के अनुसार उक्त प्रकरण में अभियुक्त को दिनांक 31. 10. 2022 को जरिये पंजीकृत डाक से नोटिस प्रेषित किया गया था ,जिसे अभियुक्त द्वारा दिनांक 01. 11. 2022 को तामील किया जाना अंकित है । उपरोक्त परिवाद दिनांक 06. 12. 2022 को न्यायालय में दायर किया गया है ।

परिवादी द्वारा उक्त परिवाद पत्र के समर्थन में शपथपत्र, मूल चैक सं०- 519602 मु० 5,27,300/- (पाँच लाख सत्ताईस हजार तीन सौ रुपये) दिनांकित 28. 10. 2022 , अभियुक्त को दिये नोटिस की प्रति, वैधानिक नोटिस की रजिस्ट्री रसीद, तामीला की प्रति consignment Number RU527240975IN एवं बैंक द्वारा जारी रिटर्न मेमोरेण्डम की प्रति दाखिल किये गये हैं । ऐसी स्थिति में नोटिस प्रथम दृष्टया तामील है ।

हस्तगत प्रकरण में विपक्षी ने परिवादी को पंजाब नेशनल बैंक शाखा कुरैठा, जिला झाँसी (उ०प्र०) की एक किता चैक संख्या- 519602 मु० 5,27,300/- (पाँच लाख सत्ताईस हजार तीन सौ रुपये) दिनांकित 28. 10. 2022 को दिया, जो दिनांक 28. 10. 2022 को अनादृत होकर परिवादी को प्राप्त हुआ । उक्त के संबंध में परिवादी द्वारा विपक्षी को जरिये डाक दिनांक 31. 10. 2022 को नोटिस प्रेषित किया एवं विपक्षी पर दिनांक 01. 11. 2022 को तामील हुआ तथा परिवादी द्वारा विपक्षी के विरुद्ध दिनांक 06. 12. 2022 को न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया । प्रार्थनापत्र में वर्णित उपरोक्त तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से दर्शित है कि विपक्षी **पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र प्रताप नारायण अहिरवार** को अन्तर्गत धारा- 138 एन. आई. एक्ट में तलब करने के आधार प्रथम दृष्टया पर्याप्त है ।

आदेश

अभियुक्त **पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र प्रताप नारायण अहिरवार** को अन्तर्गत धारा- 138 एन. आई. एक्ट थाना- गुरसराय, जिला- झाँसी में विचारण हेतु जरिये सम्मन तलब किया जाता है । उपरोक्त चेक में वर्णित धनराशि मुबलिग 5,27,300/- (पाँच लाख सत्ताईस हजार तीन सौ रुपये) हैं । **प्रकरण के दृष्टिगत उचित होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था मै० मोटर्स एण्ड इन्सट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड व अन्य बनाम कंचन मेहता (2018) 1 SCC 560 में दिये गये निर्देशों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी०एल० नं०- 1959/ एडमिन जी- 2 दिनांकित 13. 07. 2018 के अनुक्रम में सम्मन में धनराशि मुबलिग 5,27,300/- (पाँच लाख सत्ताईस हजार तीन सौ रुपये) अंकित करते हुए प्रेषित हो । यदि अभियुक्त चाहे तो परिवादी के खाते में उक्त धनराशि जमा कर उसकी सूचना न्यायालय को दे सकता है । परिवादी अपना खाता संख्या एवं आई०एफ०एस०सी० कोड अंकित करें ।**

पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्त दिनांक- 07. 08. 2023 को पेश हो ।

परिवादी तीन दिन के अन्दर पैरवी करना सुनिश्चित करे ।

(सुनील शेखर)

न्यायिक मजिस्ट्रेट,

गरौठा, झाँसी ।